# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 26 /2022

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 01. ऋषि भंसाली पुत्र श्री राजेन्द कुमार भंसाली, जाति ओसवाल, निवासी ए 201 शास्त्री नगर, जोधपुर ।<br>02. अभिषेक भंसाली पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार भंसाली, जाति ओसवाल, निवासी ए 201, शास्त्री नगर, जोधपुर । | | 01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी। |

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 भू.राज. अधिनियम ।**

**उपस्थिति –**

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक की और राजकीय अभिभाषक ।

**आदेश**

दिनांक :– 9/3/2022

पत्रावली आज पेश हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि यह हैं कि ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा सख्या 48/3 की कुल रकबा 05 बीघा कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज हैं । यह हैं कि खसरा संख्या 48/3 की कुल भूमि रकबा 05 बीघा कृषि भूमि को प्रार्थीगण द्वारा उगमादेवी पत्नि श्री तखतमल चौपड़ा एवं विमलादेवी पत्नि श्री महेन्द्र कुमार, जातियान ओसवाल द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय विलेख के खरीद की गयी जिसका बेचाननामा उपपंजीयक कार्यालय लूणी, जिला जोधपुर में दिनांक 17.08.2020 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 293, पृष्ठ संख्या 194, कम संख्या 202003063101824 पर पंजीबद्ध किया हुआ हैं जिसके आधार पर प्रार्थीगण का नाम बहैसियत खातेदार के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया जो कि जमाबन्दी से स्पष्ट हैं । यह हैं कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खरीदसुदा खसरा संख्या 48/3 कुल रकबा 05 बीघा का जो बेचाननामा उगमादेवी वगैरा द्वारा निष्पादित किया गया था उसमें निम्न पड़ौस अंकित किये गयेः–

उत्तरः– खसरा संख्या 46 की कृषि भूमि ।

दक्षिणः– कटाण का रास्ता ।

पूर्वः– भोमराज की कृषि भूमि ।

पश्चिमः– खसरा संख्या 48/1 की कृषि भूमि ।

प्रार्थीगण उपरोक्त पड़ौस अनुसार ही मौके पर काबिज हैं ।

हाल ही में सरकार के परिपत्र अनुसार तहसील लूणी का रेकर्ड ऑनलाईन किया गया जिसके तहत ग्राम नन्दवान के सम्पूर्ण खसरों के भी ऑनलाईन नये नक्शों का सर्जन किया गया । ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 48/3 के पूर्व में खसरा संख्या 48/1 दर्शा दिया गया जबकि प्रार्थीगण का जो पंजीबद्धसुदा बेचाननामा हैं उसके पड़ौस में खसरा संख्या 48/1 को पश्चिम में अंकित किया हुआ हैं । कहने का तात्पर्य हैं कि ऑनलाईन नक्शें में खसरा संख्या 48/1 के स्थान पर 48/3 दर्ज कर दिया गया एवं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

48/1 के स्थान पर 48/3 दर्ज कर दिया गया जो कि गलत हैं । बेचाननामा एवं मौका स्थिति अनुसार वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में 48/1 के स्थान पर 48/3 दर्ज होना चाहिये एवं 48/3 के स्थान पर ऑनलाईन नक्शें में 48/1 दर्ज होना चाहिये । ऑनलाईन नक्शें में उक्त त्रुटि अंकित होने से मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि अलग स्थान पर अंकित हो गयी हैं जबकि प्रार्थीगण पंजीबद्ध बेचाननामा अनुसार पद संख्या तीन में वर्णित पड़ौस अनुसार ही मौके पर काबिज हैं । प्रार्थीगण की मौके पर काबिज अनुसार एवं चाही जा रही शुद्धि अनुसार खसरा संख्या 48/3 का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसको इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावें । उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं अन्यथा अनावश्यक ही मौके पर विवाद उत्पन्न होंगे ।

तहसीलदार लूणी से इस प्रकरण के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गयी । जो कि इस प्रकार से हैं :–

01. खसरा संख्या 48/2 रकबा 05 बीघा मूल रूप से खसरा संख्या 48/1 कुल रकबा 10 बीघा का अभिन्न अंग हैं ।

02. खसरा संख्या 48/1 रकबा 10 बीघा पूरी देवी पत्नि बालाराम, जाति जाट, निवासी भाण्डू के नाम से खातेदारी में थी जिसमें से दिनांक 17.10.2014 को पंजीयन कमांक 2014003915 से रकबा 05 बीघा उगमादेवी चौपड़ा वगैरा को किया गया जो कि खसरा संख्या 48/3 के रूप में दर्ज किया गया ।

03. उगमादेवी चौपड़ा वगैरा द्वारा उक्त खसरा संख्या 48/3 रकबा 05 बीघा का दिनांक 17.08.2020 को पंजीयन कमांक 202003063101824 के द्वारा ऋषि भंसाली वगैरा को समस्त रकबे का बेचान कर दिया गया जो कि खसरा संख्या 48/3 रकबा 05 बीघा बरकरार रहा ।

04. खसरा संख्या 48/3 एवं 48/1 की राजस्व लटठे नक्शें की स्थिति एवं ऑनलाईन नक्शें की स्थिति पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार भिन्नता हैं ।

अतः जवाब मय तथ्यात्मक जॉच मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन हैं कि पटवारी हल्का की मौका जॉच तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित राजस्व लटठें नक्शें अनुसार ऑनलाईन नक्शें में खसरा संख्या 48/3 एवं 48/1 की तरमीम दुरूस्ती की अनुसंषा की जाती हैं ।

पत्रावली में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी के खसरा संख्या 48/3 व 48/1 की राजस्व लटठे नक्शें एवं ऑनलाईन नक्शें में भिन्नता हैं इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, के खसरा संख्या 48/3 एवं 48/1 का जो राजस्व लटठा नक्शा हैं जिस अनुसार पटवारी हल्का द्वारा अपनी मौका

सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी,
लूणी

जॉच/तथ्यात्मक रिपोर्ट में नजरी नक्शा बनाकर पेश किया हैं उसके अनुसार ही ऑनलाईन नक्शें में खसरा संख्या 48/3 एवं 48/1 की तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार लूणी को दिये जाते हैं । तहसीलदार लूणी तदनुसार राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन नक्शें में खसरा संख्या 48/3 एवं 48/1 की शुद्धि करते हुए अमल दरामद करें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,**
**लूणी**